



e-mail – pakur.mdm@gmail.com

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक—सह—अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़
(आवश्यक सूचना)

प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, राँची के संकल्प संख्या 662 02.05.2019, अधिसूचना संख्या 663 दिनांक 02.05.2019 एवं पत्रांक 665 दिनांक 02.05.2019 के अलोक में संशोधित औपबंधिक मेधा सूची निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार कर जिले के वेबसाइट – www.pakur.nic.in पर अपलोड किया गया है।

(क) काउंसिलिंग दिनांक 03.06.2019 को (प्रातः 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे या उपलब्ध अभ्यर्थियों के समाप्त होने तक) मध्य विद्यालय धनुषपूजा, पाकुड़ में आयोजित की गई है। निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग में उपस्थिति होना अनिवार्य होगा।

(ख) संबंधित अभ्यर्थियों अपना –अपना सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक संबंधी मूल प्रमाण पत्र को साथ लाना आवश्यक है। साथ ही www.pakur.nic.in पर अपलोड किये गये प्रपत्रानुसार शपथ पत्र काउंसिलिंग में देना अनिवार्य है।

(ग) जिन अभ्यर्थियों (पारा एवं गैर पारा 1–5, 6–8) की नियुक्ति जिले के अन्तर्गत या राज्य के अन्य जिलों के अन्तर्गत पूर्व में हो चुकी है उनका नाम इस संशोधित औपबंधिक मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(घ) पारा श्रेणी के संशोधित औपबंधिक मेधा सूची में उन अभ्यर्थियों का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जो पूर्व में आयोजित काउंसिलिंग में अनुपस्थित थें।

(ङ) न्यायनिदेश से आच्छादित अभ्यर्थी जिनके संबंध में निदेशालय के स्तर से कोई आदेश पारित है उनका नाम भी संशोधित औपबंधिक मेधा सूची में सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त संशोधित औपबंधिक मेधा सूची में अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित आंकड़ा नियुक्ति के क्रम में उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज पर आधारित है। निर्धारित काउंसिलिंग तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।

जिला शिक्षा अधीक्षक
—सह—
अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी
पाकुड़